

श्रीवांशम बनाम लिखमण मु.नं. 66/22

दिनांक	आज्ञा पत्र
21-7-25	<p>पत्रावली पेश है। विचारण न्यायालय का रिकार्ड लिखमण वाहक से तलब किया जाये। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बकाया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 15-9-25 को पेश हों।</p>
15-9-25	<p>पत्रावली पेश है। विचारण न्यायालय का रिकार्ड लिखमण वाहक से तलब किया जाये। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बकाया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 15-11-25 को पेश हों।</p>
14-11-25	<p>पत्रावली पेश / डील अपील काटेंडु नोट का रिकार्ड डाटा / डाटा बदन / दिनांक 15-12-25 को पेश हों।</p>
15-12-25	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील वास्तु नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सारे जजों से सुनाया गया। प्रकरण फौसल सुमार होकर फौसल नोट होकर बाक तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p>

दिनांक 24-2-2022
 का लिपिपत्रादेश 9 दिनांक
 (सीपीसी के अर्ध 50 में दिनांक
 28-7-22 का लिपिपत्र
 काट दिया जाना के लिए
 अपीलान्त के पत्रावली में
 के दिखाने यमान नही चाहिए
 @nullman
 12-2-25